

268

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्रमांक : /2012

R-4162-1112

श्री प्रसाद डी. डाम, कहर  
द्वारा आज दि. 7-12-12 को  
प्रस्तुत

7-12-12

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर  
3-55 PM

कमला प्रसाद राठौर पिता भगवानदीन राठौर,  
निवासी-ग्राम अनूपपुर बस्ती, तहसील जिला  
अनूपपुर (म.प्र.)

आवेदक

बनाम

1. हिरौंदिया बाई बेबा सोहन लाल कहार
2. नत्थूलाल पुत्र सोहनलाल कहार
3. ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल कहार
4. गणेश पुत्र सोहनलाल कहार
5. शेखलाल कहार पिता रामजियावन कहार
6. बाबूलाल पिता साधू कहार
7. दीना पिता साधू कहार
8. डब्बू पिता साधू कहार
9. बेला बाई पिता सेतवन कहार
10. गया प्रसाद पिता सेतवन कहार
11. गोपाल पिता सेतवन कहार (नाबालिग) बली सरपरस्त भाई गयाप्रसाद कहार पिता सेतवन कहार
12. बद्री प्रसाद राठौर मृत वैध वारिसान
  1. बूदनबाई बेबा बद्रीप्रसाद
  2. पुन्नीबाई पुत्री बद्री प्रसाद पत्नी गणेश राठौर निवासी-सेन्दुरी, अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)
  3. पदमा बाई पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी विश्वनाथ बलबहरा, निवासी-जैतहारी अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)
  4. लालाबाई पुत्री बद्री प्रसाद
  5. माधुरीबाई पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी बबलू राठौर निवासी-ग्राम गौरसी तहसील जैतहारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

गणेश

7-12-12

6. उषा बाई पुत्री बट्टी प्रसाद फौत वारिसान—

1. पूजा बाई 17 वर्ष
2. आरती 15 वर्ष
3. भारती 13 वर्ष
4. लक्ष्मी 11 वर्ष
5. विजेन्द्र 9 वर्ष

सरपरस्त पिता डोले राठौर, ग्राम सेन्दुरी  
तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

13. अनिल कुमार पिता मनराखन
14. रवि कुमार पिता मनराखन कहार
15. मनमंगिया बेबा मनराखन कहार

सभी निवासीगण—ग्राम अनुपपुर बस्ती तहसील  
व जिला अनूपपुर (म.प्र.) ————प्रत्यर्पण अनोखे 20/01/12

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय अनूपपुर जिला अनूपपुर  
द्वारा प्रकरण क्रमांक—80/अ-6अ/11-12 में पारित आदेश  
दिनांक 29/09/2012 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता  
1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश अवैध, अनुचित, विधि के उपबंधों के प्रतिकूल तथा अधिकारिता रहित होने से अपास्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाये जाने हेतु कार्यवाही न किए जाने तथा पक्षकारों के असंयोजन के दोष के आधार पर आदेश दिनांक 29/08/2012 द्वारा वर्तमान अनावेदकगण का आवेदन खारिज किया गया था। इस कारण प्रकरण पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता था।
3. यह कि, मृत पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नियत अवधि में कार्यवाही न किए जाने से प्रकरण का स्वमेव उपशमन हो

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-4162-दो/2012

जिला- अनूपपुर

कमला प्रसाद राठौर विरुद्ध हिरौंदिया बाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<del>19-02-2019</del> 20-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 80/अ-6-अ/2011-2012 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>20/02/2019</p>